डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470003
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR M.P. 470003
(A Central University)

सुरक्षा अधिकारी

मोबा. नं. :7697425313, फोननं. 07582–264527
E-Mail – csosagarutd264527@gmail.com

क्रमांक / सुरक्षा / 2024 / 60

सागर, दिनांक:27.02.2024

प्रति,

समस्त सुरक्षाकर्मी
सुरक्षा विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविधालय
सागर (म.प्र.)

आप सभी जानते हैं कि डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय 1320 एकड़ में फैला हुआ विस्तृत परिसर है। पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा विभाग की है। सुरक्षाकर्मियों के लिए सुरक्षा कार्य से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, जो निम्न हैं :–

1- सभी सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पूर्ण रुप से सजग एवं चौकस होकर करें।
2- अपने कर्तव्य स्थल पर मोबाइल न चलायें।
3- ड्यूटी के दौरान सोयें नहीं।
4- अपने कर्तव्य स्थल पर समय से पहुँचें तथा ड्यूटी अवधि समाप्त होने के बाद ही कर्तव्य स्थल छोड़ें।
5- ड्यूटी अवधि के दौरान कर्तव्य स्थल कदापि न छोड़ें।
6- कैम्पस चेकपोस्ट पर ड्यूटी करने वाले सुरक्षाकर्मियों को विशेष ध्यान रखने की जरुरत है कि वे सुबह–शाम के समय घूमने आने वाले बाहरी आगंतुकों को आवासीय परिसर में प्रवेश न करने दें। शेष समय में किसी भी बाहरी आगंतुक को बिना उचित कारण के, रजिस्टर में एंट्री किये बिना प्रवेश न दें।
7- गुरुनिलियम एवं ब्यायज हॉस्टल चेक प्वांइट पर ड्यूटी करने वाले सुरक्षाकर्मी बाहरी आगंतुकों को बिना उचित कारण के, रजिस्टर में एंट्री किये बिना परिसर में प्रवेश न दें।
8- गौर भवन के सुरक्षाकर्मी बिना पूछताछ के, बिना उचित कारण के और रजिस्टर में एंट्री किये बिना किसी बाहरी आगंतुक को प्रवेश न दें।
9- चेकिंग प्वांइट पर ड्यूटी करते हुए चहलकदमी करते रहें।

10- विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान और नशाखोरी निषिद्ध है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाये, तो उसे जरुर पकड़ें तथा उसे विश्वविद्यालय की गरिमा का ध्यान रखने के लिए कहें।

11- सुरक्षा विभाग से लेकर कैम्पस चेक प्वाइंट के बीच और सुरक्षा विभाग से लेकर ब्यायज हॉस्टल चेक प्वाइंट के बीच तथा केन्द्रीय कार्यालय, सेल्फी प्वाइंट, गौर समाधि स्थल के आस–पास, घाट रोड, विश्वविद्यालय स्थित दुकानों के आस–पास, नैनो बिल्डिंग परिसर, पतंजलि भवन योगा परिसर एवं अन्नपूर्णा भवन परिसर में विशेष सतर्कता बरतें। किसी भी अवांछनीय या अशोभनीय घटना को रोकें।

12- सुरक्षाकर्मी यह बराबर ध्यान दें कि विश्वविद्यालय परिसर में बैठने के स्थानों पर लोगबाग अशोभनीय तरीके से न बैठें।

13- सुरक्षा चेक प्वाइंटों पर लगे गेट/बैरियर (स्टॉपर) को रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लगाकर अनाधिकृत प्रवेश को रोकें। इस दौरान विधिवत चेकिंग करके ही किसी को प्रवेश दें।

14- रात्रि में 10:00 बजे के बाद विश्वविद्यालय परिसर में भ्रमण कर रही किसी भी गाड़ी को रोककर पूछताछ जरुर करें। इसके साथ ही कैम्पस चेक प्वाइंट, गुरुनिलियम, ब्यायज हॉस्टल चेक प्वाइंट तथा गौर भवन से रात्रि 10:00 बजे के बाद परिसर से बाहर जाने वाली गाड़ियों को अवश्य रोकें। बाहर जाने का उचित कारण और सही व्यक्ति के हाथ में गाड़ी है–यह जानकर ही बाहर जाने दें। इसे रजिस्टर में भी दर्ज करें।

15- जिन सुरक्षाकर्मियों को गणवेश प्राप्त है, वे गणवेश पहनकर ही ड्यूटी स्थल पर आयें।

16- सुरक्षा सुपरवाइजर सभी चेकिंग प्वांइट के सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी का अनुश्रवण करते रहें तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराते रहें।

किसी भी चेकिंग प्वांइट पर सुरक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का सुरक्षाकर्मी द्वारा पालन करना अनिवार्य है। किसी भी सुरक्षाकर्मी द्वारा अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही अक्षम्य होगी। यदि किसी भी सुरक्षाकर्मी की कर्तव्य के प्रति लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

27.02.2024
(डॉ. हिमांशु कुमार)
सुरक्षा अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपति के निज सचिव के माध्यम से कुलपति महोदया को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।

27.02.2024
(डॉ. हिमांशु कुमार)
सुरक्षा अधिकारी